(8)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिविजन संख्या:— 36 / 2017
दायर दिनांक :— 04.07..2017
निर्णय दिनांक :— 07.03.2018

अनवान

श्री खुमाण पिता कालूराम रेगर निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

प्रार्थीगण / निगराकार

बनाम

1. श्री मोटाराम पिता श्री हीरालाल जाति रेगर निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
2. ग्राम पंचायत गिलुण्ड जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

विपक्षीगण / गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 पटटा संख्या 5368 पुस्तक संख्या 62 दिनांक 20.11.2001 के विरूद्व

उपस्थित :—
1—श्री श्यामसुन्दर पालीवाल ,अधिवक्ता प्रार्थीगण / निगराकार
2—श्री उदयलाल कुमावत अधिवक्ता , विपक्षीगण / गैर निगराकार

—:: निर्णय ::

प्रार्थी / निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में निवेदन किया हैं कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत गिलुण्ड द्वारा जो पटटा विपक्षी संख्या 1 को जारी किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा रास्ते की चौडाई को कम कर रास्ते की भूमि में पटटा जारी किया गया है। वह अवैध हैं ग्राम पंचायत ने अपने अधिकारों से परे जाकर विपक्षी संख्या 01 को फायदा पहुचाने के लिए ,जो रास्ते की भूमि के सम्बन्ध में पटटा जारी किया गया है , वह अवैध होकर काबिल खारिज है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी के पक्ष में जारी पटटा संख्या 5368 दिनांक 20.11.2001 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस सूचित किया गया एवं अधिनस्थ ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब किया गया।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से जबाब प्रस्तुत किया कि गली की चौडाई अलग—2 स्थानों पर अलग है। निगरानी में वर्णित गली को विपक्षी संख्या 01 ने सकडा नहीं किया है। इस गली में ग्राम पंचायत द्वारा सी0सी0 सडक का निर्माण किया है। नाली बना रखी है। विपक्षी संख्या 01 का पुराना पुश्तैनी मकान हैं, जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत मौका देखकर पटटा जारी करने से पूर्व विधिवत आपत्तियां पेश करने हेतु अवसर दिया गया और आपत्तियां नहीं आने पर विपक्षी

संख्या 2 द्वारा मेरे पक्ष में पुराने पुश्तैनी मकान की लम्बाई चौडाई के आधार पर 12.26 गुणा 36.5 की लम्बाई चौडाई का पटटा विधिवत रूप से जारी किया । मेरे द्वारा ग्राम पंचायत की गली को संकडा नहीं किया गया हैं एवं जों पटटा जारी किया है। उसमें से 2 फीट की जगह छोडकर निर्माण किया है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण/निगराकार के अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ग्राम गिलुण्ड में निगराकार का मकान स्थित है। इस मकान में आवागमन उत्तर से दक्षिण गली से होता हैं । यह गली उत्तर से दक्षिण प्रार्थी के मकान तक लम्बी है जो उत्तर आम रास्ते के वहां 10.6 फीट चौडी गली शुरू होती हुई आगे 10. 0 फीट पूरी लम्बाई में चौडी है। निगराकार के मकान में आवागमन का यही एक मात्र रास्ता है,जिससे निगराकार आवागमन करता हैं और अपने वाहन आदि लाता ले जाता है। विपक्षी संख्या 01 का उक्त गली के उत्तर पूर्व की तरफ भूखण्ड है जो पूर्व पश्चिम 9.0फीट चौडाई का स्थित हैं और विपक्षी के मकान के पश्चिम की तरफ जो गली हैं उसकी चौडाई 10.6 फीट चौडी रही है। विपक्षी संख्या 01 ने उक्त गली की कुछ भूमि के सम्बन्ध में वर्ष 1991 में जबरन अपनी होना तथा जबरन अतिक्रमण करने की कोशिश करने लगा। तब सभी गवाडी वालों ने तथा उपस्थित मौतबिरान ने विपक्षी संख्या 01 एवं निगराकार के मध्य समझौता कराया तथा इस समझौते की लिखा पढी दिनांक 18.10.1991 को की थी, जिसमें मोटाराम निगराकार गवाडी के लोग एवं मौतबिरान ने हस्ताक्षर किये। उक्त समझौता में मोटाराम ने यह तय किया कि उसके मकान के पश्चिम की ओर जो गली हैं जिसकी चौडाई अगले मुहं आम रास्ते की तरफ 10.5 फीट तथा मोटाराम के भूखण्ड के दक्षिण भाग पश्चिम की ओर गली की की चौडाई 10.2 फीट हैं तथा इसी अनुसार यथावत रहेगी। विपक्षी संख्या 01 अवैध रूप से इस गली की चौडाई को कम करते हुए गली की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कराने को आतुर हुआ तो इस पर निगराकार /प्रार्थी ने वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस गली की चौडाई आपसी समझौते अनुसार रखने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया । विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बताया कि उक्त विवदित स्थल का मौका देखा गया। परन्तु मौका पर्चा पर मात्र हस्ताक्षर हैं। तथा दीवानी मामले में भी 7 इंच रास्ते पर कब्जा बताया है। विपक्षी संख्या 01 ने विपक्षी संख्या 02 से मिलीभगत कर बाला बाला अवैध रूप से नाली (रास्ते) की भूमि को कम करते हुए अपने मकान की भमि बताते हुये अवैध रूप से अधिक चौडाई का पटटा प्राप्त कर लिया ,जिसको खारिज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जावे एंव अप्रार्थी संख्या 01 को जारी पटटा निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार सख्या 01 ने बहस में बताया कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 157 के तहत जारी पटटे की अपील होती है। निगरानी नही एवं अपील की समय अवधि 30 दिवस है। एवं ग्राम पंचायत के निर्णय की अपील विकास अधिकारी के यहां की जानी चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि उक्त रास्ते

(19)

पर ग्राम पंचायत द्वारा 2001 एवं 2011 में सी0सी0 सडक का निर्माण कराया गया था। तब किसी प्रकार का विवाद नहीं था। इस गली में गैर निगरानकार सख्यां 01 के मकान के आगे अन्य व्यक्ति का मकान है। पर इसे पक्षकार नहीं बनाया है। तथ इस सम्बन्ध में एक दीवानी वाद अपर जिला न्यायाधीश महोदय के न्यांयालय में विचाराधीन होकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। जो अभी तक लागू है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी चलने योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में अपर जिला न्यायाधीश महोदय का आदेश दिनांक 20.01.2015 तथा मकान व गली के मौके के फोटो प्रस्तुत किये गये।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई । बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट हैं कि दोनो पक्षों के मध्य एक दीवानी वाद अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन होकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। जो वर्तमान में प्रभावी होकर वाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में निगरानी पर इस न्यायालय द्वारा सुनवाई किया जाना उचित नहीं है।

:: आदेश ::

अतः निगाराकर की निगारानी इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 07.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द